भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1471

04 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

खाद्य असुरक्षा

1471. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्य असुरक्षा का अनुभव कर रहे व्यक्तियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) सरकार के विशेषकर दूरस्थ और अल्पसेवित क्षेत्रों में खाद्यान्नों का समान वितरण सुनिश्चित करने में विफल रहने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता और पौष्टिकता में सुधार लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार सम्पूर्ण देश में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की प्रभावकारिता की निगरानी किस प्रकार करती है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान करता है, इस प्रकार कुल आबादी के लगभग दो-तिहाई हिस्से को कवर करता है। अधिनियम के तहत कवरेज काफी अधिक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिले। अधिनियम को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है और अधिनियम के तहत उनकी पात्रता के अनुसार लगभग 80.67 करोड़ लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। खाद्य असुरक्षा के बारे में किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कोई सूचना नहीं है।

...2/-

(ग): लक्षित आबादी के बीच फोर्टिफाइड चावल के एक समान पोषण संबंधी परिणाम प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) स्कीम, और एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षत्रों (यूटी) में अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कर रही है। सरकार की प्रत्येक स्कीम में कस्टम-मिल्ड चावल को फोर्टिफाइड चावल से बदल दिया गया है और मार्च, 2024 तक फोर्टिफाइड चावल के वितरण का 100% कवरेज प्राप्त कर लिया गया है। श्री अन्न (मिलेट्स), जिसे आमतौर पर पोषक अनाज के रूप में जाना जाता है, जो पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का एक भाग हैं।

(घ): एनएफएसए स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के माध्यम से उचित दर दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कामकाज पर समय-समय पर सामाजिक लेखापरीक्षा का प्रावधान करता है। केंद्र सरकार भी इस प्रकार के लेखापरीक्षा के संचालन में अनुभवी स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षा कर सकती है या करवा सकती है।

सरकार ने 03 वर्षों (2020-23) के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के कार्यान्वयन का समवर्ती मूल्यांकन करने के लिए प्रतिष्ठित निगरानी संस्थानों (एमआई) को नियुक्त किया है। मूल्यांकन कार्य के लिए तैयार की गई प्रश्नावली में पीएमजीकेएवाई के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न प्राप्ति पर कुछ प्रश्न भी शामिल थे। निगरानी संस्थानों द्वारा किए गए परिवारों के सर्वेक्षण से प्राप्त रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि सर्वेक्षण की अवधि के दौरान पात्र लाभार्थियों को जनवरी 2023 से एनएफएसए के तहत नि:शुल्क राशन प्रदान किया गया है।

*****